



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937

No. 746]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA 19, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

का.आ. 972(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनु रूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमशः नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
314	148बी	राजस्थान राज्य में कोटपुतली पर नई रारा-48 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हरियाणा राज्य में नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, हांसी, बरवाला, टोहाना को जोड़ने वाला और पंजाब राज्य में भटिंडा के निकट मानसा पर रारा-54 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

315	444ए	हरियाणा राज्य में अंबाला के निकट रारा-44 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर साहा को जोड़ने वाला और हरियाणा राज्य में साहाबाद के निकट नया रारा-44 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
-----	------	--

[फा.सं. एनएच-14012/14/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 132 (अ) तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2015

S.O. 972(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
314	148B	The highway starting from its junction with new NH No. 48 at Kotputli in the State of Rajasthan connecting Narnaul, Mahendergarh, Charkhi Dadri, Bhiwani, Hansi, Barwala, Tohana in the State of Haryana, Mansa and terminating at its junction with NH 54 near Bathinda in the State of Punjab.
315	444A	The highway starting from its junction with NH 44 near Ambala connecting Saha and terminating at its junction with NH 44 at Sahabad in the State of Haryana.

[F. No. NH-14012/14/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 132(E), dated 12th January, 2015.